प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्र0सू0रि0 सं. 30/2022 दिनांक 3/2/2022

2.(i) अधिनियम..... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें 7
(ii) अधिनियम.....भा.द.स.....धारायें.....
(iii) अधिनियम..... धारायें.....
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या..... 42 समय 5:00 P.M.
(ख) अपराध घटने का दिन बुधवार दिनांक :– 02.02.2022 समय ....03.05 पीएम .....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– ..... समय .....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– तहसील कार्यालय फतेहपुर जिला सीकर।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– सीकर से उत्तर दिशा में करीब 50 किलोमीटर
(ब) पता :– तहसील कार्यालय फतेहपुर जिला सीकर।
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री परमजीतसिंह
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री रणजीत सिंह
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 23 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– ..... भारतीय .....
(य) पासपोर्ट संख्या .....
जारी करने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय :– .....
(ल) पता :– निवासी राजश्री सीनेमा के सामने वार्ड नं. 38 सीकर।.....

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
श्री श्री उदयसिंह पुत्र श्री रामसिंह, उम्र–55 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी राजनगर कॉलोनी धोद रोड़ सीकर हाल चतूर्थ श्रणी कर्मचारी तहसील कार्यालय फतेहपुर जिला सीकर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....
..... कोई देरी नहीं हुई .....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
.....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 1,000 रूपये.....

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–
दिनांक 01.02.2022 को परिवादी परमजीत सिंह ने अपने मोबाईल नम्बर 8559983665 से श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक जाकिर अख्तर को कॉल कर तहसील कार्यालय फतेहपुर के बाबू श्री उदयसिंह द्वारा रिश्वत की मांग करने तथा बाबू को रिश्वत नहीं देकर उसे रंगे हाथों पकडवाने की कही, जिस पर उप अधीक्षक पुलिस ने मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी के चाहेनुसार रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड श्री मूलचन्द कानि. को सुपुर्द कर तथा परिवादी के मोबाईल नम्बर बताये जाकर दिनांक 02.02.2022 को समय 9.00 एएम पर फतेहपुर रवाना किया गया। समय करीब 11.45 एएम पर श्री मूलचन्द कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक की परिवादी से वार्ता करवाई तथा रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन होने की कही। परिवादी श्री परमजीत सिंह ने तुरन्त ही फतेहपुर पहूँच अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने की कही, जिस पर कार्यालय आबकारी अधिकारी सीकर से श्री राजेश कुमार वरिष्ठ सहायक एवं श्री किशनसिंह कनिष्ठ सहायक को

तलब कर फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी मालखाना से निकलवाई जाकर उसे सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाई जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान उपरोक्त एवं कार्यालय स्टाफ के श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई, श्री रामनिवास कानि., श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्रीमती मंजू महिला कानि. एवं श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक के मय ट्रेप बाक्स एवं लैपटाप हमरा लेकर जरिये सरकारी एवं प्राईवेट वाहनों से समय करीब 12.55 पीएम पर सीकर से फतेहपुर के लिये रवाना हुआ। श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस को ईमदाद हेतु हमरा लिया गया।

कार्यवाही पुलिस

02.02.2022

01.45 पीएम इस समय श्री मूलचन्द कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष परिवादी श्री परमजीतसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर बताया कि '' तहसील कार्यालय फतेहपुर के पास पहूॅच मैने परिवादी श्री परमजीत से प्रार्थना पत्र प्राप्त किया तथा परिवादी को टेप रिकार्डर चालू व बन्द की विधि समझाकर रिश्वत के मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु तहसील कार्यालय की तरफ रवाना कर दिया तथा परिवादी के वापिस आने पर टेप रिकार्डर प्राप्त कर लिया। परिवादी श्री परमजीत सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह उम्र–23 वर्ष, जाति रावणा राजपूत निवासी राजश्री सीनेमा के सामने वार्ड नं. 38 सीकर द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि'' में सीकर कोर्ट में वकालत का कार्य करता हूॅ। श्री अरविन्द चौधरी पुत्र श्री सुभाष चौधरी उम्र–25 वर्ष जाति जाट निवासी गांव बिराणिया तहसील फतेहपुर जिला सीकर मेरे परिचित तथा मित्र है। उक्त श्री अरविन्द चौधरी के गांव में उनके आवासीय पट्टा का रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु मैं उदयसिंह बाबू तहसील कार्यालय फतहेपुर से मिला तो उसने पट्टे के पंजीयन के लिये एक हजार रूपये की मांग की तब मैने मेरे मित्र श्री अरविन्द चौधरी को उक्त बात बताई तो उसने अपने वैध काम के लिये किसी प्रकार की कोई रिश्वत श्री उदयसिंह को नहीं देने की कही तथा उक्त उदयसिंह को रिश्वत लेते हुये पकडवाने की मुझे कही। अतः मै व मेरा परिचित अरविन्द उक्त उदयसिंह बाबू को रिश्वत देना नहीं चाहते और उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवानाा चाहते है। कानूनी कार्यवाही करें।'' एसडी– परमजीत सिंह दिनांक 02.02.2022, एसडी–राजेश कुमार, एसडी–किशनसिंह दिनांक 02.02.2022

मजिद दरियाफ्त पर परिवादी परमजीतसिंह ने उक्त प्रार्थना पत्र की ताईद करते हुये प्रार्थना पत्र स्वंय द्वारा हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित होना बताते हुये श्री उदयसिह बाबू से कोई उधार लेनदेन एवं किसी प्रकार की कोई रजीश नहीं होना बताया। परिवादी ने बताया कि आज मैने श्री मूलचन्द कानि. से टेप रिकार्डर प्राप्त कर तहसील कार्यालय में जाकर श्री उदयसिंह बाबू से बात की तो उसने मेरे परिचित श्री अरविन्द चौधरी के पट्टे के रजिस्ट्रेशन करने की एवज में मेरे से एक हजार रूपये देने की कही, तहसील कार्यालय से बाहर आकर मैने टेप रिकार्डर श्री मूलचन्द कानि. को सुपुर्द कर दिया। टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई, जिस पर टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुरक्षित रखा गया।

तत्पश्चात समय 01.50 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को साथ लेकर मय हमराहीयान के हाईवे सड़क के पास बने गडवा जोहडा के पीछे पहूॅचा जहॉ वाहनों को साईड में रूकवाकर परिवादी परमजीत सिंह का दोनों गवाहान से आपस में परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व समझाया जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामले में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई।

तत्पश्चात परिवादी श्री परमजीत सिंह ने हिदायत देने पर आरोपी उदयसिंह बाबू तहसील कार्यालय फतेहपुर जिला सीकर को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले पॉच–पॉच सौ रूपयों के 02 नोट कुल 1000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

1–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8 CL 535576

2–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6 WC 454290

फिनोफ्थलीन की शीशी गाडी के डेस्क बोर्ड से निकलवाई जाकर उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया जाकर गवाह श्री राजेश कुमार से परिवादी श्री परमजीत सिंह की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 1,000 रूपयों के नोट श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक से

परिवादी के पहने हुये कोट की सामने की दाहिनी जेबं सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को आरोपी द्वारा रिश्वत स्वीकार कर प्राप्त कर लेने के बाद अपने मोबाईल फोन नम्बर 8559983665 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9079554697 पर मिस कॉल देकर ईशारा करने अथवा अपने सिर पर हाथ फेरकर इशारा करने की हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक से वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाई गई। कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाया गया, गिलास के घोल को फेंक कर कांच के गिलास को श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक के जरिये साफ पानी व साबुन से साफ करवाया गया। परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय के दूसरा डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी परमजीत सिंह को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक को वाहन मे ही मुकिम रहने की मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई। बाद कार्यवाही उपरोक्त मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी एवं हमराहीयान पार्टी के जरिये सरकारी एवं प्राईवेट वाहनों के अग्रिम कार्यवाही हेतु गडवा जोहडा से रवाना होकर तहसील कार्यालय के पास कोर्ट के सामने पहूँचा जहॉ परिवादी को मुनासिब हिदायत देकर तहसील कार्यालय की तरफ पैदल–पैदल रवाना किया। परिवादी के पीछे–पीछे श्री मूलचन्द कानि. एवं श्री रामनिवास कानि. को रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान शेष पार्टी सदस्यों के परिवादी के तय ईशारे के इन्तजार में वाहनों में ही मुकिम हुआ।

समय करीब 03.00 पीएम मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी का तय ईशारा मिस कॉल की सूचना प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय मौतविरान गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों को साथ लेता हुआ समय 03.05 पीएम पर तहसील कार्यालय फतेहपुर के अन्दर पहूँचा जहॉ पंजीयन लिपिक के कमरे में सामने कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति के पास परिवादी खडा मिला जिसने मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर अपने पास कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ''यही उदयसिंह बाबू है, जिन्होने अभी–अभी मेरे से रिश्वती राशि अपने बांये हाथ में लेकर अपनी टेबल की बीच की दराज में रखे है'' इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो इसने घबराते हुये अपना नाम उदयसिंह चतूर्थ श्रेणी कर्मचारी तहसील कार्यालय फतेहपुर होना बताते हुये कहा कि'' मैने इससे कोई रूपये नहीं लिये है'' मौके पर परिवादी ने आरोपी उदयसिंह के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि ''मेरे परिचित श्री अरविन्द चौधरी के ग्राम के आवासीय पट्टे का पंजीयन करवाने हेतु इन्होने मेरे से 1000 रूपये मांगे आज इनको 1000 रूपये देने पर इन्होने अपनी टेबल की बीच की दराज में रखे है तथा श्री अरविन्द चौधरी का पट्टा इन्होने अपनी आलमारी में रखा हुआ था, को आलमारी से लेने की कहने पर मैने इनकी आलमारी से श्री अरविन्द चौधरी का पंजीयन शुदा पट्टा निकाल लिया।'' रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर आरोपी उदयसिंह चतूर्थ श्रेणी कर्मचारी का बांय हाथ श्री रामनिवास कानि. एवं दाहिना हाथ श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 के जरिये कलाईयों के उपर से पकडवाये गये। तत्पश्चात दो कॉच के गिलासों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर थोडा–थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी उदयसिंह चतूर्थ श्रेणी कर्मचारी के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैलासा हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी उदयसिंह चतूर्थ श्रेणी कर्मचारी के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबीसा हो गया। दोनों हाथों के उक्त धोवन को अलग–अलग दो–दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा–आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर–1 एंव आर–2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल–1, एल–2 से सील्ड किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश देने पर गवाह श्री राजेश कुमार ने आरोपी उदयसिंह चतूर्थ श्रेणी कर्मचारी की लोहे की टेबल की बीच की दराज को खोला तो

पॉच–पॉच सौ रूपये के नोट दिखाई दिये, जिनको गवाह से राजेश कुमार से उठवाकर गिनवाया गया तो कुल 1000 रूपयों के नोट पाये गये। इन नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर मौके पर बनाई फर्द में अंकित करवाकर 1,000 हजार रूपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात श्री कैलाशचन्द कानि. के दोनों हाथों एवं एक कांच के गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला उस रंगहीन घोल में आरोपी उदयसिंह चतूर्थ श्रेणी कर्मचारी की टेबल की बीच की दराज जिसमें अभिभाषक संघ फतेहपुर का विवरण पत्र क्रमांक 1275 रखा था, जिसके उपर से रिश्वती राशि बरामद की गई, के बरामदगी स्थल का रूई के फौवे की सहायता से धोवन लिया गया तो धोवन का रंग मटमैलासा हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा–आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क टी–1 एंव टी–2 अंकित किया गया। धुलाई में काम लिये गये रूई का फौवा तथा अभिभाषक संघ फतेहपुर का विवरण पत्र क्रमांक 1275 को एक सफेद कपडें की थैली में सीलवाकर सील मोहर कर मार्क ''ए'' अंकित कर जप्त किया गया।

तत्पश्चात आरोपी उदयसिंह चतूर्थ श्रेणी कर्मचारी से परिवादी के पट्टे के पंजीयन के बारे में पूछा तो बताया कि '' मुझे तहसील में सहायक के तौर पर लगा रखा है, इनके पट्टे का पंजीयन होने के पश्चात मैने इनको लेने के लिये कहा था'' मौके पर श्री रामकुमार सिंह वरिष्ठ सहायक/रजिस्ट्री लिपिक को पूछने पर बताया कि ''उक्त पट्टा संख्या 17 को पंजीयन हेतु दिनांक 25.01.2022 को प्राप्त हुआ था, उसी दिन उक्त पट्टे का पंजीयन कर दिया गया था, जिस व्यक्ति द्वारा पट्टा पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जाता है, उसको पट्टा दिये जाने का प्रावधान है, पट्टे का ऑन लाईन ही रिसिव्ड एवं डिस्पेच किया जाता है'' तत्पश्चात परिवादी परमजीत सिंह से संबंधित पट्टा संख्या 17 की फोटो प्रति करवाई जाकर फोटो प्रति पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मूल पंजीयन शुदा पट्टा परिवादी को सुपुर्द किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही लिये गये धोवन की सील्ड शीशीयां मार्क आर–1, आर–2, एल–1, एल–2, टी–1, टी–2, सील्ड रिश्वती राशि के कागज एंव सील्ड रूई एवं कागज का पैकेट मार्क ''ए'' पर मुतालकीन के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी रखा गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वती नोट मौके पर तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल हस्ब कायदा प्रथक से तैयार किया गया। आरोपी श्री उदयसिंह चतूर्थ श्रणी कर्मचारी तहसील कार्यालय फतेहपुर जिला सीकर को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी मय गिरफ्तार शुदा आरोपी व परिवादी तथा जप्त शुदा वजह सबूत माल व रिकार्ड हमरा लेकर फतेहपुर रवाना होकर एसीबी कार्यालय सीकर पहूॅचा। प्रकरण से संबंधित जप्त शुदा माल वजह सबूत सुरक्षित हालत में जमा मालखाना करवाया गया।

तत्पश्चात परिवादी परमजीतसिंह द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 02.02.2022 को आरोपी श्री उदयसिंह बाबू तहसील कार्यालय फतेहपुर जिला सीकर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया, जिसको परिवादी एवं उपरोक्त गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''बी'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्ता में परिवादी परमजीतसिंह ने स्वंय की व आरोपी श्री उदयसिंह चतूर्थ श्रेणी कर्मचारी की आवाजों की पहचान की।

तत्पश्चात परिवादी परमजीतसिंह द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 02.02.2022 को आरोपी श्री उदयसिंह बाबू तहसील कार्यालय फतेहपुर जिला सीकर से हुई बातचीत को दूसरे डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया, जिसको परिवादी एवं उपरोक्त गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लेपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी

तैयार कर अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''सी'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्ता में परिवादी परमजीतसिंह ने स्वंय की व आरोपी श्री उदयसिंह चतूर्थ श्रेणी कर्मचारी की आवाजों की पहचान की।

की गई कार्यवाही से आरोपी श्री उदयसिंह पुत्र श्री रामसिंह, उम्र–55 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी राजनगर कॉलोनी धोद रोड़ सीकर हाल चतूर्थ श्रणी कर्मचारी तहसील कार्यालय फतेहपुर जिला सीकर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री परमजीत सिंह से उसके परिचित श्री अरविन्द चौधरी पुत्र श्री सुभाष चौधरी उम्र–25 वर्ष जाति जाट निवासी गांव बिराणिया तहसील फतेहपुर जिला सीकर का उसके गांव बिराणियां में ग्राम पंचायत द्वारा बनाये गये आवासीय पट्टा संख्या 17 का पंजीयन करवाने की एवज में दिनांक 02.02.2022 को परिवादी श्री परमजीत सिंह से 1000 रूपये बतौर रिश्वत की मांग करना तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 02.02.2022 को ही 1000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपी उदयसिंह चतूर्थ श्रणी कर्मचारी तहसील कार्यालय फतेहपुर जिला सीकर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपी उदयसिंह चतूर्थ श्रणी कर्मचारी तहसील कार्यालय फतेहपुर जिला सीकर के विरूद्व उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(सुरेशचन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेशचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में आरोपी श्री उदयसिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तहसील कार्यालय फतेहपुर जिला सीकर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 30/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

3.2.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 291-95 दिनांक 3.2.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-2,जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर सीकर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

3.2.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।